डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 62 ● अंक 18 ● भोपाल ● 16-28 फरवरी, 2019 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

प्रत्येक पात्र किसान का ऋण माफ हो

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में पात्र प्रत्येक किसान का ऋण माफ हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकाला गया है, वे बगैर किसी भय के सामने आयें, सरकार उन्हें न्याय दिलायेगी और दोषियों को दंडित करेगी। श्री नाथ मंत्रालय में फसल ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह, किसान–कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती एवं वित्त, कृषि और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ हर उस किसान को मिलना चाहिए, जो योजना की परिधि में शामिल हैं। उन्होंने किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकालने के प्रकरणों पर नाराजी व्यक्त की। उन्होंने किसानों से अपील की कि अगर उनके नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकाला गया है तो वे निर्भय होकर बतायें, सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बैठक में निर्देश दिये कि फर्जी ऋण प्रकरणों के मामलों को गंभीरता से लें और इसकी सूक्ष्मता से जाँच करवायें। जो भी दोषी पाया जाये उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये।

बैठक में बताया गया कि ऋण माफी योजना में 50 लाख 61 हजार आवेदन भरे गए हैं। इसमें से 45 लाख 9 हजार आवेदन ऑनलाइन किये गये हैं। ऋण माफी की यह प्रक्रिया 22 फरवरी तक पूरी हो जायेगी और किसानों के खाते में राशि पहुँचना शुरू हो जायेगी। योजना में लघु एव सीमांत किसानों के ऋण प्राथमिकता में माफ किये जायेंगे।

सहकारी बैंकों के संविदा इंजीनियर्स और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के सेवा काल में वृद्धि

भोपाल। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन में बैंकिंग सेवाओं को ध्यान में रखकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कार्यरत संविदा इंजीनियर्स और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाओं में 30 जून 2019 तक की वृद्धि की गई है। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह द्वारा हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिये गये थे। आयुक्त सहकारिता ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।

योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में बैंकिंग सेवाओं को समय–सीमा में पूरा करने के लिये ये संविदा कर्मी आउट सोर्सिंग आधार पर कार्यरत रहेंगे।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लिये निरंतर सक्रिय कंट्रोल रूम

कलेक्टर्स की बैठक में मुख्य सचिव श्री मोहंती ने दिये निर्देश

भोपाल। मुख्य सचिव श्री एस. आर. मोहंती ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लिये जिलों में स्थापित कंट्रोल–रूम को निरंतर सक्रिय रखने के निर्देश दिये हैं। श्री मोहंती ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जिला कलेक्टर्स कृषि, सहकारिता तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के निरंतर सम्पर्क में रहें तथा समय–सीमा में गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव प्रशासन अकादमी में कलेक्टर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। निराश्रित पशुओं के लिये गौ–शाला खोले जाने तथा अपराधिक प्रकरणों के लोकहित में प्रत्याहरण की प्रक्रिया के संबंध में भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिये।

अपर मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने निराश्रित पशुओं के लिये गौ–शाला खोले जाने के संबंध में प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम 3 गौ–शाला आरम्भ की जाना है। इसके लिये जिला तथा विकासखण्ड स्तर पर समिति गठित की जायेगी। उन्होंने गौ–शालाओं के लिये तत्काल भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव, गृह श्री मलय श्रीवास्तव ने आपराधिक प्रकरणों के लोकहित में प्रत्याहरण की प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया। जिला कलेक्टर्स को प्रमुख सचिव, वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण श्री राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव, सहकारिता श्री अजीत केसरी ने भी संबांधित किया।

तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में 500 रूपये की वृद्धि

बोनस और पारिश्रमिक का होगा नगद भुगतान

भोपाल। राज्य शासन ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर में 500 रुपये प्रति मानक बोरा वृद्धि की है। अब संग्राहकों को 2000 रुपये के स्थान पर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। संग्राहकों को पारिश्रमिक और बोनस का नगद भुगतान किया जायेगा। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अपने वचन–पत्र में वनोपज संग्राहकों से किया गया यह वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पारिश्रमिक में 500 रुपये की वृद्धि किये जाने से संग्राहकों को आगामी सीजन में 110 करोड़ रुपये से भी अधिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से 33 लाख 12 हजार संग्राहक लाभान्वित होंगे और लगभग 22 लाख तेन्दूपत्ता मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण संभव होगा।

वन मंत्री श्री सिंघार ने बताया कि प्रदेश के दूर–दराज के इलाकों के तेंदूपत्ता संग्राहक भुगतान का ई–पेंमेंट सिस्टम होने से बहुत परेशान थे। संग्राहकों को कई बार 15 से 20 किलोमीटर तक का सफर तय कर बैंक तक पहुँचना पड़ता था। ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत छोटे बैंक हैं, जिनमें राशि भी कम ही रहती है। संग्राहक अक्सर अपना कामकाज छोड़ कर जब शाम तक बैंक पहुँचते थे, तो राशि खत्म हो जाने के कारण इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था। इससे संग्राहकों में काफी निराशा और हताशा का भाव उत्पन्न हो रहा था।

वन मंत्री ने बताया कि अब वन विभाग के अधिकारी–कर्मचारी पहले से ही गाँव में जाकर संग्राहकों को भुगतान के लिए निर्धारित दिन और समय की सूचना देंगे। निर्धारित समय पर नोडल ऑफीसर वहाँ जाकर उन्हें नगद भुगतान करेंगे। इससे संग्राहक को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। वन विभाग खुद संग्राहक के पास पहुँचेगा।

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की उपस्थिति में हुआ नये स्वरूप में वन्दे मातरम्

मार्च में शामिल हुए मंत्री डॉ.गोविन्द सिंह, श्री पी.सी.शर्मा तथा श्री जीतू पटवारी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की उपस्थिति में मंत्रालय के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वन्दे मातरम का सामूहिक गायन नये स्वरूप मे सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रगान जन–गण–मन का सामूहिक गायन भी सम्पन्न हुआ। बढ़ी संख्या में जनसामान्य ने पहले शौर्य स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, फिर पुलिस बैंड के साथ मंत्रालय तक मार्च किया। पुलिस बैंड निरंतर देशभक्ति के गीतों की धुनें बजाता हुआ वल्लभ भवन की ओर अग्रसर होता रहा । शौर्य स्मारक से आरंभ हुए मार्च में सामान्य प्रशासन, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह, विधि–विधायी कार्य एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी.शर्मा तथा खेल एवं युवा कल्याण तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी भी सम्मिलित हुए।

नये स्वरूप में आरंभ हुए वन्दे मातरम् कार्यक्रम के लिए प्रातः 10.00 बजे से ही शौर्य स्मारक पर जनसामान्य का एकत्र होना आरंभ हो गया था। इस अवसर पर उपस्थित मंत्रीगण तथा अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा शौर्य स्मारक पर पुष्प अर्पित करने के बाद बढ़ी संख्या में एकत्र लोग पुलिस बैंड के साथ वल्लभ भवन स्थित सरदार पटेल पार्क की ओर अग्रसर हुए। पुलिस बैंड द्वारा ''नन्हा मुन्ना राही हूँ'' और ''कदम कदम बढ़ाये जा– खुशी के गीत गाये जा'' जैसे देशभक्ति पूर्ण तरानों की धुनें पूरे मार्ग में प्रस्तुत की गईं। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जनसमुदाय पूरे उत्साह से सरदार पटेल पार्क की ओर अग्रसर हुआ। सरदार पटेल पार्क को वन्दे मातरम् कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से सजाया गया था। मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा कार्यक्रम के लिए फूड कोर्ट की व्यवस्था भी की गई थी।

मुख्यमंत्री श्री कमल–नाथ की उपस्थिति में सरदार पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् ओर राष्ट्रगान जन–गण–मन का गायन हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस.आर.मोहन्ती, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री विनोद सेमवाल, अपर मुख्य सचिव वन श्री के.के.सिंह, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी.केसरी सहित बड़ी संख्या में मंत्रालय, विंध्याचल तथा सतपुड़ा भवन के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

पंजीयक के परिपत्र

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल

rcs.legal@mp.gov.in

क्रमांक/विधि/2019/54 भोपाल, दिनांक 22-01-2019

प्रति

1. संयुक्त आयुक्त,
   सहकारिता समस्त संभाग म0प्र0
2. उप/सहायक आयुक्त,
   सहकारिता समस्त जिले म0प्र0 ।

विषयः–म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11.01.19 में प्रकाशित अधिसूचना ।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1962 के नियम 49 ग (1) के अंतर्गत सदस्यों की सूची में प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी के निक्षेपकर्ता सदस्य के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करने हेतु प्रारूप छ–1 में संशोधन किया गया है । संशोधित प्रारूप छ–1 की अधिसूचना दिनांक 11.01.2019 को शासन द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित कराई गई हैं जो शासकीय प्रेस की वेबसाइट www.govtpress.mp.nic.in अथवा सहकारिता विभाग की वेबसाईट www.cooperatives.mp.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं ।

संशोधित प्रारूप छ–1 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की सूची तैयार कराने हेतु समस्त पेक्स संस्थाओं जिनके निर्वाचन कराए जाना हैं उन्हें सूचित करें तथा उक्त प्रारूप छ–1 अनुसार सूची तैयार होने पर मुख्यालय को अवगत करावें ।

(अरविन्द सिंह सेंगर)
संयुक्त आयुक्त,
सहकारिता, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 22-01-19

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2019—पौष 21, शक 1940

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2019

क्र. एफ–5–2–2018–पन्द्रह–1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप छ–1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''प्ररुप छ–1

[नियम 49–ग (1) देखिए]

सहकारी सोसाइटी लि. . . . . पंजीयन क्रमांक . . . . . .

विकासखण्ड . . . . . जिला . . . . . .

सदस्यों की सूची

क्रमांक	सदस्यता पंजी का अनुक्रमांक	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	निवास (गांव का नाम)	अजा/अ.ज.जा./ सामान्य वर्ग	पुरूष/ महिला	उधारगृहिता, यदि कोई हों	–×– व्यतिक्रमी	उपविधियों के अनुसार पात्रता/ अपात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

टीप :—जिनके चुनाव प्रतिनिधियों के आधार पर आयोजित होते हैं, वहां सदस्यों की सूची का प्ररूप निम्नानुसार होगा:—

क्रमांक	सदस्यता पंजी का अनुक्रमांक	सदस्य सोसाइटी का नाम	सोसाइटी का पूर्ण पता	प्रतिनिधि का नाम	प्रतिनिधि का वर्ग (अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ सामान्य)	पुरूष/ महिला	सदस्य सोसाइटी व्यतिक्रमी है या नहीं	सोसाइटी उधारगृहिता है या नहीं	व्यतिक्रमी है या नहीं	उपविधियों के अनुसार पात्रता/ अपात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

नोट—प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी के सदस्यों की सूची का प्ररूप निम्नानुसार होगा.

क्रमांक	सदस्यता पंजी का अनुक्रमांक	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	निवास (गांव का नाम)	अजा/ अ.ज.जा./ सामान्य वर्ग	पुरूष/ महिला	उधारगृहिता यदि कोई हों.	–×– व्यतिक्रमी	उपविधियों के अनुसार पात्रता/ अपात्रता	क्या सदस्य निक्षेपकर्ता है?	निक्षेपकर्ता होने की दशा में पात्रता/ अपात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

सदस्यों के वर्गवार ब्यौरें निम्नलिखित प्ररूप में अंकित किए जाएंगे.

सदस्यों की कुल संख्या			अनारक्षित/सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
पुरुष	महिला	योग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत

प्रमाण–पत्र

(सोसाइटी के प्रबंधक/अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी)

प्रमाणित किया जाता है कि सदस्य सूची में दी गई जानकारी सोसाइटी के अभिलेख के अनुसार सही एवं प्रमाणित है. अधोहस्ताक्षरी सदस्य सूची पर आपत्तियों की सुनवाई के दौरान आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा.

सोसाइटी के प्रबंधक/अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी.''.

कृषि उपज मंडियों को सुदृढ़ बनाने में नाबार्ड से सहयोग का आग्रह

मुख्यमंत्री की नाबार्ड प्रतिनिधि मंडल से चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कृषि उपज मंडियों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सहयोग की अपेक्षा की। यहाँ मंत्रालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा में उन्होंने राज्य में परस्पर सहयोग के संभावित क्षेत्रों में नाबार्ड की भूमिका पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण में नाबार्ड सहयोग कर सकता है। केवल सड़कें नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी सहयोग की भरपूर संभावनाएं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक कॉलेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ बनाने में भी सहयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण में भी सहयोग का आग्रह किया, ताकि सहकारिता के कामकाज में पारदर्शिता आये। उन्होंने नाबार्ड अधिकारियों से कहा कि किसानों ने अपनी मेहनत से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया है। इससे खाद्यान्न भंडारण और प्रबंधन का नया क्षेत्र खुला है। इसमें भी नाबार्ड की भूमिका हो सकती है।

नाबार्ड प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को स्टेट क्रेडिट सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सेमीनार फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा, जिसमें वर्ष 2019 –20 के लिए एक लाख 73 हजार करोड़ रुपये का राज्य क्रेडिट प्लान जारी किया जाएगा।

नाबार्ड ने मुख्यमंत्री को वर्ष 2018–19 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्व–सहायता समूहों के उत्पाद भेंट किये। उल्लेखनीय है कि नाबार्ड स्व–सहायता समूहों के अलावा 1300 किसान उत्पाद कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक में काम कर रहे किसान उत्पाद कंपनी ष्फलमष् के उत्पाद भेंट किये गये।

प्रमुख सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, नाबार्ड के जनरल मैनेजर डॉक्टर डी एस चौहान, जनरल मैनेजर सुश्री एम खेस और उप महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह इस मौके पर उपस्थित थे।

उचित मूल्य दुकानों का हर सप्ताह होगा निरीक्षण

राज्य शासन द्वारा कलेक्टरों को निर्देश जारी

भोपाल। राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कसावट लाने के लिये उचित मूल्य दुकानों के निरंतर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टरों को जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों की निरीक्षण और वितरण प्रणाली की साप्ताहिक समीक्षा के लिये कहा गया है। निर्देशों के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा निरीक्षण रोस्टर तैयार कर सक्षम अधिकारियों को दायित्व सौंपा जायेगा।

जिला कलेक्टरों से कहा गया है उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण का रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाये कि सक्षम अधिकारी सप्ताह में एक बार उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण अवश्य करें। निरीक्षण प्रतिवेदन की कलेक्टर द्वारा प्रति सप्ताह समीक्षा की जाये। दुकानों में पाई गई सामान्य त्रुटि की दशा में सुझाव रजिस्टर में निर्देशात्मक टीप दर्ज की जाये। गंभीर अनियमितता पाये जाने पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रकरण तैयार कर आवंटन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाये। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि गंभीर अनियमितता के मामलों में आवंटन अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाये।

उचित मूल्य दुकानों के निर्देशानुसार निरीक्षण में लापरवाही की स्थिति परिलक्षित होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से हर माह के प्रथम सप्ताह में कलेक्टर द्वारा संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को भेजा जायेगा।

भारतमाला में बनेगा 5987 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग

भोपाल–इंदौर 6–लेन एक्सप्रेस–वे को भी मिली स्वीकृति

भोपाल। भारतमाला योजना में मध्यप्रदेश में पहले चरण में सुझाये गये 5987 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इन मार्गों का 4–लेन मार्गों के रूप में निर्माण किया जायेगा। निर्माण कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी एनएचएआई होगी। इन योजनाओं में जबलपुर बायपास, सागर बायपास, ग्वालियर बायपास और ओरछा बायपास का निर्माण शामिल है।

भारतमाला योजना में भोपाल– इंदौर 6–लेन एक्सप्रेस–वे और भोपाल बायपास दक्षिण–पश्चिम भाग बनाये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है। एक्सप्रेस–वे हाईवे की लागत 4000 करोड़ रुपये होगी। इस कार्य की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिये कंसल्टेंट कम्पनी का चयन कर लिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन

सभी प्रकार के वाहनों को टोल बूथों पर लंबे इंतजार से बचाने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा भोपाल–देवास मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में शेष मार्गों पर भी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की व्यवस्था के लिये कार्यवाही जारी है। विभाग द्वारा टोल टैक्स ठेकेदारों से किये गये अनुबंध के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों को निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों तक पहुँचाने और प्राथमिक उपचार कराने का प्रावधान भी रखा गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया जारी है।

मंत्रि–परिषद के निर्णय

विस्तार वानिकी योजना की निरंतरता के लिए भी 58.54 करोड़ की स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि–परिषद की बैठक में एकलव्य पॉलीटेक्निक योजना के तहत प्रदेश के तीन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय मण्डला, झाबुआ और हरसूद में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा योजना देने का निर्णय लिया गया। योजना में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्राइंग, स्टेशनरी, पुस्तकें, छात्रवृत्ति और भोजन दिया जाएगा। इस योजना को 2019–20 तक निरंतर रखने का अनुमोदन किया गया। मंत्रि–परिषद ने वन विभाग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित विस्तार वानिकी योजना को आगामी 2019–20 तक वित्तीय सीमा 58 करोड़ 54 लाख रूपये की निरंतरता की अनुमति दी।

मंत्रि–परिषद ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग/ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों की तीन निर्माणाधीन/प्रचलित परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 2552 करोड़ 90 लाख वित्त पोषण का अनुमोदन दिया। इसमें मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह परियोजना के लिए 510 करोड़ रूपये, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर की पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 748 करोड़ 2 लाख रूपये और मध्यप्रदेश पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर/भोपाल/इन्दौर की उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 1294 करोड़ 88 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया। मंत्रि–परिषद ने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर द्वारा आर.ई.सी. नई दिल्ली से 1200 करोड़ के मध्यम अवधि के ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया। गारंटी के लिए मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

गौशालाओं के सब्सटेंशियल मॉडल विकसित करने राज्य स्तरीय समिति गठित

भोपाल। निराश्रित पशुओं की उचित देखभाल के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं के सब्सटेंशियल मॉडल विकसित के लिए अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार समिति में अपर मुख्य सचिव वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा पशुपालन विभाग, प्रमुख सचिव कृषि विभाग और प्रमुख सचिव कृषि को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। आयुक्त मनरेगा को समिति में सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। समिति द्वारा गौशालाओं के सब्सटेंशियल मॉडल निर्माण एवं संचालन के लिए आवश्यक मार्गदर्शीय सिद्धांतों का निर्धारण और समय–समय पर प्रदेश स्तर की समीक्षा की जायेगी।

अगले चार माह में खुलेंगी 1000 गौ शालाएँ

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने दिए प्रोजेक्ट गौ–शाला पूरा करने के निर्देश

भोपाल। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अगले चार माह के भीतर 1000 गौ–शालाएँ खोलने का निर्णय लिया है। इसमें एक लाख निराश्रित गौ–वंश की देख–रेख होगी और 40 लाख मानव दिवसों का निर्माण होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक कोई भी शासकीय गौ–शाला नहीं खोली गयी थी ।

वचन पत्र का एक और वचन पूरा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज यहाँ मंत्रालय में वचन पत्र का एक और वचन पूरा करते हुए प्रोजेक्ट गौ–शाला को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास विभाग प्रोजेक्ट गौ–शाला का नोडल विभाग होगा। ग्राम पंचायत, स्व–सहायता समूह, राज्य गौ–संवर्धन बोर्ड से संबद्ध संस्थाएँ एवं जिला समिति द्वारा चयनित संस्थाएँ प्रोजेक्ट गौ–शाला का क्रियान्वयन करेंगी।

निजी संस्थाएँ भी प्रोजेक्ट गौ–शाला में शामिल हो सकेंगी

मुख्यमंत्री ने निजी संस्थाओं से भी इस परियोजना में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने स्वामित्व संचालन और प्रबंधन के आधार गौ–शालाओं के संचालन की सम्भावनाएँ तलाशने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट गौ–शाला से शहरों और गाँवों में निराश्रित पशुओं द्वारा पहुँचाये जा रहे नुकसान से निजात मिलेगी। निराश्रित पशुओं को घर आश्रय मिलेगा। साथ ही ग्रामीण रोज़गार के भी अवसर निर्मित होंगे। चार माह बाद इन गौ–शालाओं का विस्तार होगा।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 614 गौ–शालाएँ हैं जो निजी क्षेत्र में संचालित है। अब तक एक भी शासकीय गौ–शाला संचालित नहीं है।

गौ–शाला प्रोजेक्ट के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति होगी। विकासखंड स्तर की समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष होंगे।

गौ–शाला में शेड, ट्यूबवेल, चारागाह विकास, बायोगैस प्लांट, नाडेप, आदि व्यवस्थाएँ होंगी। फंड की व्यवस्था पंचायत, मनरेगा, एमपी–एमएलए फंड तथा अन्य कार्यक्रमों के समन्वय से होगी। जिला समिति गौ–शालाओं के लिए स्थल चुनेंगी।

बैठक में पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव, कृषि मंत्री श्री सचिन यादव, राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती और सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य सहकारी संघ के सार्थक व सक्रिय प्रयोग - श्री सिंह

जबलपुर। सहकारिता नवाचार एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा गठित महिला बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण का अभियान इस समय मुख्यालय स्तर पर चल रहा है। भविष्य में सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों में भी ऐसे प्रशिक्षण किये जायेंगे। ये बातें राज्य सहकारी संघ के राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताई। साथ ही यह भी कहा कि नित नवीन परिवर्तनो का सहकारिता आंदोलन पर जो प्रभाव हो रहा है उसकी संरचना विकास में प्रशिक्षण की अहम् भूमिका है।

श्री सिंह ने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम सत्र क्र.18 के प्रशिक्षार्थियों को भेंट देते हुए कहा कि सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सहकारी संघ के नित नए सार्थक प्रयोग व सक्रिय प्रयासों की सर्वत्र चर्चा हो रही है जो कि संघ की सफलता का परिचायक हैं।

प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने स्वागत भाषण देते हुए केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण गतिविधियों से सहकारी क्षेत्र के कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं।

केंद्र के व्याख्याता श्री शशिकांत चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सहकारी संघ की वर्तमान में प्रगतिशील गतिविधयां प्रबंध संचालक महोदय के अथक प्रयासों का परिणाम है। कार्यक्रम का संचालन केंद्र के व्याख्याता श्री व्ही. के. बर्वे द्वारा किया गया व आभार प्रदर्शन प्रशिक्षक श्री रितेश कुमार ने किया। कार्यक्रम में प्रशिक्षक श्री चेतन गुप्ता, लिपिक श्री एन. पी. दुबे, श्री शोभित ब्यौहार, श्री पीयूष राय का सहयोग सराहनीय रहा। प्रारम्भ में केंद्र स्टाफ व HDCM के प्रशिक्षार्थियों ने श्री एस. के. सिंह का स्वागत किया। श्री सिंह ने कटंगा स्थित राज्य सहकारी संघ के प्लाट का भी निरीक्षण किया।

इलेक्ट्रॉनिक कांटों से 20 लाख मी. टन धान की रिकार्ड खरीदी : मंत्री श्री तोमर

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक रिकार्ड खरीदी की गई है। इसके एवज में 3 लाख 61 हजार 690 किसानों के बैंक खातों में 3634 करोड़ 69 लाख रूपये की राशि जमा कराई गई है। इस वर्ष की गई धान की खरीदी पिछले 6 वर्षों में सर्वाधिक है।

राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए प्रदेश में 951 केन्द्र बनाये गये। नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड द्वारा इन केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक काँटों के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया गया। मंत्री श्री तोमर ने बताया कि किसानों से की गई खरीदी के एवज में 1750 रूपये प्रति क्विंटल के मान से भुगतान की राशि ''जस्ट–इन–टाइम'' साफ्टवेयर के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा कराई गई।

मंत्री श्री तोमर ने बताया कि गत 6 वर्षों में इस वर्ष धान की रिकार्ड खरीदी की गई है। उन्होंने बतायाकि वर्ष 2013–14 में 2 लाख 86 हजार किसानों से 15 लाख 65 हजार मीट्रिक टन, वर्ष 2014–15 में 2 लाख 34 हजार किसानों से 12 लाख 3 हजार मीट्रिक टन, वर्ष 2015–16 में 2 लाख 43 हजार किसानों से 12 लाख 65 हजार मीट्रिक टन, वर्ष 2016–17 में 2 लाख 87 हजार किसानों से 19 लाख 61 हजार मीट्रिक टन और वर्ष 2017–18 में 2 लाख 82 हजार किसानों से 1 लाख 65 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। खरीदी की एवज में किसानों को 2276 करोड़ 25 लाख रूपये राशि का भुगतान किया गया था। इस वर्ष 3634 करोड़ 69 लाख रूपये की राशि का भुगतान किसान भाइयों को सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उत्पादन केन्द्रों से 4 करोड़ का उत्पादन

भोपाल। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के 13 उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से वर्तमान वित्त वर्ष में करीब 4 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन किया जा चुका है। बोर्ड की तरफ से सूती, ऊनी और रेशमी खादी के साथ ही पॉली वस्त्र के उत्पादन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में भोपाल इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, नीमच, रीवा, उज्जैन, देवास के साथ ही भोपाल–इंदौर के मध्य डोडी (जिला सीहोर) में एम्पोरियम संचालित हैं। इन केन्द्रों ने वित्त वर्ष में करीब साढ़े पाँच करोड़ रुपये का विक्रय किया है।

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने माइनिंग प्रस्तावों पर निर्णय ले केन्द्र

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की प्रधानमंत्री से मुलाकात, खनन, कृषि विषयों पर चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और कृषि एवं खनन से जुड़े मुददों पर विस्तार से चर्चा की। श्री नाथ ने राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये माइनिंग लीज पाने की पात्रता रखने वाले 27 प्रकरण में जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया। श्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री को विस्तार से बताया कि मध्यप्रदेश के करीब 170 आवेदन हैं जो खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम की धारा 10–ए और 2–बी के अंतर्गत माइनिंग लीज अनुदान पाने की पात्रता रखते हैं। इन प्रस्तावों पर जल्द निर्णय होने से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनवरी 2015 में खदान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम मध्यप्रदेश जैसे राज्य जिला खनिज कोष के नये प्रावधानों का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही वे अधोसंरचना के विकास और खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिये अन्य संकेतकों को सुधारने में भी योगदान दे रहे हैं।

प्राइज डेफिसिट योजना के 575.90 करोड़ रूपये जारी करने का आग्रह

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री का ध्यान तिलहन के लिये प्राइज डेफिसिट भुगतान योजना के क्रियान्वयन लागत की शेष राशि 575.90 करोड़ रूपये शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री समर्थन मूल्य तय करने के पूर्व के निर्णय को आगे बढाते हुए अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि अभियान के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

श्री नाथ ने श्री मोदी को बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने

1951.80 करोड़ रूपये किसानों को भुगतान किये थे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और आदर्श विक्रय मूल्य का अंतर था। उन्होंने कहा कि यदि यह फसल नाफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित होती तो प्रशासनिक लागत और हानि करीब 2800 करोड़ आती।

मुख्यमंत्री ने लागत में 50 प्रतिशत की भागीदारी भारत सरकार द्वारा करने के निर्णय को देखते हुए शेष 575.90 करोड़ रूपये शीघ्र जारी करवाने का आग्रह किया।

सोयाबीन के लिये म.प्र. का लक्ष्य 26.92 लाख मीट्रिक टन करने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने सोयाबीन के लिये प्राइज डेफिसिट योजना में राज्य के उत्पादन का 40 प्रतिशत यानी 26.92 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य तय करने का आग्रह किया है।

श्री नाथ ने कहा कि प्राइज डेफिसिट योजना की गाइडलाइन में राज्य को दिये लक्ष्य को उत्पादन का 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के तरीके का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि यही मूल्य समर्थन योजना की गाइडलाइन में अंकित है। उन्होंने प्राइज डेफिसिट योजना में परिवर्तन करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे उत्पादन के 25 प्रतिशत के लक्ष्य को 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।

संविदा कर्मियों की माँगों पर विचार के लिये समिति गठित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों और अन्य संविदा कर्मचारियों के संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन, जो उनके स्थायीकरण और अन्य माँगों से संबंधित हैं और जिनमें वित्तीय भार निहित नहीं है, पर विचार कर निर्णय लेने के लिये मंत्रि–परिषद समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष गृह एवं सामान्य प्रशासन मंत्री श्री गोविंद सिंह होंगे।

मध्यप्रदेश आजीविका मिशन अंतर्गत

मास्टर ट्रेनर तैयार करने हेतु सहकारिता का आधारभूत प्रशिक्षण

म.प्र. आजीविका मिशन के तत्वावधान में म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा मास्टर ट्रेनर तैयार करने के लिए सहकारिता का आधारभूत तीन–तीन दिवसीय प्रशिक्षण संघ मुख्यालय में 29 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण में प्रत्येक जिले से मिशन अंतर्गत गठित संकुल स्तरीय संघीय सहकारी संघ के जिला एवं ब्लाक के चार प्रतिभागी इन प्रशिक्षणों में भाग ले रहे है। प्रथमतः 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाना है, जो 20 मार्च 2019 तक आयोजित होंगे। विनांक 13.02.2019 तक आयोजित प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियां।

उन्नतशील भारत के निर्माण में प्रगतिशील युवा रोजगार देने की रणनीति बनाये

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ गोंदिया में स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जयंती समारोह में शामिल हुए

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि उन्नतशील भारत के निर्माण के लिये हमें प्रगतिशील युवाओं को रोजगार देने के लिये सुनियोजित रणनीति अपनाना होगी। श्री नाथ महाराष्ट्र के गोंदिया में स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जयंती उत्सव में मेधावी छात्र–छात्राओं को स्वर्ण पदक वितरण समारोह में संबोधित कर रहे थे। समारोह में मध्यप्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे, खनिज संसाधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल और फिल्म अभिनेता श्री संजय दत्त उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आज के युवा और कल की पीढ़ी के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि हमारे नौजवानों की सोच व्यापक हुई और वे शिक्षित होने के साथ ही हुनरमंद भी हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन नौजवानों को उनकी अपेक्षा और पात्रता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाएँ। श्री नाथ ने स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल का स्मरण करते हुये कहा कि वे राजनैतिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। आज गोंदिया में जो भी विकास हमें दिखता है उसका श्रेय स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल को है।

सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ न केवल उनके साथी हैं, बल्कि मार्गदर्शक भी हैं। उनके मार्गदर्शन में ही गोंदिया का विकास करने में मैं सफल हुआ।

इस मौके पर मेधावी छात्र–छात्राओं को श्री कमल नाथ ने स्वर्ण पदक वितरित किये।

नगरीय निकाय की ग्राउण्ड स्टडी के आधार पर बने विकास की रणनीति

मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनाइजेशन की स्थापना के संबंध में चर्चा

भोपाल। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की ग्राउण्ड स्टडी कर उसकी चुनौतियों और समस्याओं के निराकरण के संबंध में रणनीति बनायी जाये। इसी रणनीति के आधार पर विकास के कार्य करवाये जायें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ अर्बनाइजेशन के संबंध में अधिकारियों से चर्चा करते हुए यह सुझाव दिये।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों को आत्म–निर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निकाय पूरी तरह से अनुदान पर निर्भर हैं। अपने हिस्से की 10 प्रतिशत राशि भी नहीं दे पाते हैं। श्री सिंह ने कहा कि विकास की प्लानिंग करते समय गाँवों से शहरों की ओर हो रहे माइग्रेशन को भी ध्यान में रखा जाये। नगरीय विकास के विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ली जायें।

अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक श्री आर. परशुराम ने कहा कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों–कर्मचारियों के साथ ही निर्वाचन के तुरंत बाद निर्वाचित पदाधिकारियों की ट्रेनिंग भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 30 से 45 वर्ष तक के अनुभवी नगरीय विकास के विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने का प्रावधान भी होना चाहिए। श्री परशुराम ने कहा कि भोपाल में बनने वाला संस्थान अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी होगा।

आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री गुलशन बामरा ने कहा कि नगरीय निकायों में मुख्य रूप से अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास और स्मार्ट सिटी की योजनाओं में काम हो रहा है। पेयजल और सीवरेज की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता में शामिल है।

शहरी विकास विशेषज्ञ श्रीमती सुनाली रोहरा ने नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना के उद्देश्यों एवं महत्व के बारे में प्रेजेन्टेशन दिया। उन्होंने बताया कि संस्थान की स्थापना में डी. एफ.आई.डी., यूएसआईडी, एम. आई.टी., आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान भी सहयोग के इच्छुक हैं। श्रीमती सुनाली ने बताया कि संस्थान के संचालन के लिए 25 सदस्यों का एक स्वतंत्र बोर्ड होगा। संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सर्विस लाइन्स और रीजनल चेप्टर्स के रूप में कार्य करेगा। यह पीपीपी मोड में चलाया जा सकता है।

वर्ष 2025 तक 38 प्रतिशत होगी शहरी आबादी

श्रीमती सुनाली ने बताया कि वर्ष–2025 तक भारत में 38 प्रतिशत आबादी शहरी होने का अनुमान है। उन्होंने शहरों में पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ के कारणों, शहरीकरण की धीमी गति और एक्सपर्ट की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण जरूरी है।

बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे, सचिव श्री राजीव शर्मा, संचालक टी एण्ड सी.पी. श्री राहुल जैन,अपर आयुक्त श्री स्वतंत्र सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मुख्य सलाहकार श्री एम.एम. उपाध्याय और श्री चितरंजन त्यागी ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

प्रदेश के किसानों को मिलेगी भरपूर बिजलीरू ऊर्जा मंत्री श्री सिंह

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने दतिया जिले के ग्राम भर्रोली में 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन का भूमि–पूजन किया। इसके निर्माण के लिये एक करोड़ 83 लाख 30 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने ग्राम दिगुवां में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसानों को भरपूर बिजली उपलब्ध करवाई जायेगी।

ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि भगुआपुरा क्षेत्र में 132/33 के.व्ही. क्षमता का विद्युत सब स्टेशन स्थापित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार नौजवानों और किसानों की सरकार है। उन्होंने बताया कि कर्ज माफी का निर्णय लेने के बाद सरकार ने शहरी युवाओं को साल में 100 दिन का रोजगार देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अब 100 यूनिट तक की विद्युत खपत पर 200 रुपये के स्थान पर 100 रुपये लिये जायेंगे। कार्यक्रम में विधायक श्री घनश्याम सिंह ने भी विचार व्यक्त किये। दतिया प्रवास के दौरान ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने पीताम्बरा पीठ में पूजा–अर्चना की। श्री सिंह का दतिया एवं अन्य स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ।

अमृत योजना में क्लस्टर आधारित बस सेवा के लिये बनेंगे सर्व सुविधायुक्त बस स्टैण्ड

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने दिये कार्यवाही के निर्देश

भोपाल। अमृत योजना में प्रदेश के शहरों में क्लस्टर आधारित बस संचालन के लिये सर्व– सुविधायुक्त बस टर्मिनल/स्टैण्ड बनाये जायेंगे। शहरी एवं अंर्तशहरीय मार्गों पर बस चलाई जा रही हैं। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने बस स्टैण्डों का निर्माण समय–सीमा में करवाने के निर्देश दिये।

बस स्टैण्ड पर बसों में चढ़ने और उतरने के लिये बस–वे का निर्माण, बसों के लिये पार्किंग एरिया, टिकिट काउंटर के लिये स्थान और यात्री प्रतीक्षालय बनाये जायेंगे। इसके साथ ही यात्रियों के लिये बस स्टैण्ड में स्वल्पाहार की सुविधा, प्रसाधन कक्ष की सुविधा, पेयजल, बस चालक एवं परिचालक विश्राम के लिये डोरमेट्री और दिव्यांगों के लिये जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेंगी।

बस टर्मिलन/बस स्टैण्ड निर्माण में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड को प्राथमिकता दी जायेगी। पीपीपी मोड के द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण संभव नहीं होने पर व्यवसायिक गतिविधि संचालित कर निर्माण राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री प्रमोद अग्रवाल, आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री गुलशन बामरा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दुग्ध संकलन क्षेत्र में नये रूट बनायें, नयी समितियां बनायें

पशुपालन मंत्री श्री यादव ने की समीक्षा

भोपाल। पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य–विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने कहा है कि दुग्ध संघ की कार्य–प्रणाली में प्रोफेशनलिज्म की झलक दिखनी चाहिये। दुग्ध संकलन की मात्रा में वृद्धि हो और ऐसे क्षेत्र, जहाँ से पशुपालकों से दुग्ध का संकलन नहीं किया जा रहा है, वहाँ से संघ द्वारा नये रूट बनाकर नयी दुग्ध उत्पादक समितियाँ गठित कर दुग्ध संकलन किया जाये। उन्होंने कहा कि ग्वालियर संभाग में दुग्ध संकलन अपेक्षा से कम है। इस पर पर्याप्त ध्यान दिये जाने की जरूरत है। मंत्री श्री यादव आज मंत्रालय में एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री मनोज श्रीवास्तव, एम.डी. दुग्ध महासंघ श्रीमती अरुणा गुप्ता और संचालक पशुपालन सहित अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि ग्वालियर और जबलपुर संभाग में तुलनात्मक रूप से दुग्ध संकलन कम है, इसे बढ़ाया जाये। बैठक में बताया गया कि रोजाना दुग्ध संघ द्वारा औसतन 10 लाख किलोग्राम से अधिक दुग्ध का दुग्ध उत्पादक पशुपालकों से संकलन किया जा रहा है। दुग्ध संघ द्वारा विटामिन–ए एवं डी फोर्टीफाइड दूध भी इस माह से प्रारंभ किया गया है।

दुग्ध संघ के प्लांट में उच्च गुणवत्ता के उत्पाद निर्माण की सुविधाएँ उपलब्ध करवाने, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं को स्थापित करने, संयंत्रों को ऑटोमेशन बनाने, कोल्ड चेन के विस्तार सहित अन्य बिन्दुओं पर भी बैठक में चर्चा की गयी। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेव्हलपमेंट योजना में चयनित 22 जिलों में योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गयी।

मंत्री श्री यादव ने राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के कार्यक्रमों और योजनाओं की भी समीक्षा की।

मध्यप्रदेश पर्यटन को मिला अन्तर्राष्ट्रीय अवार्ड

भोपाल। हाल ही में स्पेन में ''फितूर'' कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पर्यटन को टीवीसी का अन्तर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। अवार्ड टीवीसी मध्यप्रदेश के डेस्टिनेशन पर केन्द्रित है। इसे 58 फिल्मों की प्रविष्टि में से चुना गया। पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल को प्रमुख सचिव श्री हरिरंजन राव ने मंत्रालय में अवार्ड के बारे में जानकारी देते हुए अवार्ड सौंपा। पर्यटन मंत्री श्री बघेल ने पर्यटन रणनीति में निगम के होटल, रिसॉर्ट आदि के प्रचार और जानकारी को शामिल करने पर जोर दिया।

प्रमुख सचिव श्री राव ने मंत्री श्री बघेल को वैश्विक स्तर पर मध्यप्रदेश पर्यटन के प्रचार–प्रसार के लिये किये जा रहे प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 ट्रेड और 9 रोड शो में मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा सह–भागिता की जा रही है। लन्दन और बर्लिन में विश्व के सबसे बड़े ट्रेवल ट्रेड शो में भी भागीदारी की जा रही है। हाल ही में स्पेन में ''फितूर'' कार्यक्रम में भी मध्यप्रदेश पर्यटन की भागीदारी थी।

इस मौके पर पर्यटन निगम के एम.डी. श्री टी. इलैया राजा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

फसल ऋण माफी के लिये 50 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त

भोपाल। प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना में 15 जनवरी से पाँच फरवरी 2019 तक 50 लाख 40 हजार 861 पात्र किसानों द्वारा आवेदन जमा किये गये हैं। अभी तक 43 लाख 50 हजार आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किये जा चुके थे। आवेदन ऑनलाइन दर्ज करने का कार्य निरतंर जारी है।

आवेदन की अंतिम तिथि पाँच फरवरी तक हरे ऋण खाते के 29 लाख 61 हजार 84 में से 26 लाख 23 हजार 423 आवेदन, सफेद ऋण खाते के 26 लाख 628 में से 19 लाख 20 हजार 505 आवेदन तथा चार लाख 96 हजार 933 गुलाबी आवेदन, इस प्रकार 50 लाख 40 हजार 861 आवेदन प्राप्त हुए है।

प्रदेश में कुल 55 लाख 61 हजार 712 ऋण खाते हैं। इनमें अपात्रता वाले किसान जैसे आयकरदाता/शासकीय सेवक, जन–प्रतिनिधि (विधायक, सांसद आदि) और जीएसटी पंजीयन वाले किसानों के फसल ऋण खाते भी सम्मिलित हैं। साथ ही जिन कृषकों के अलग–अलग ऋण खातों में 2 लाख रुपये ऋण से ज्यादा की ऋण राशि हैं, उनके द्वारा भी 2 लाख रुपये से ऊपर के अन्य ऋण खातों में आवेदन नहीं किये जाने के कारण कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 50 लाख 40 हजार 861 रही है।

किसानों को 5,350 परियोजना से मिल रही सिंचाई सुविधा

भोपाल। प्रदेश में जल–संसाधन विभाग द्वारा 5,350 वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। नहरों के संधारण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में 18 वृहद सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 15 लाख 67 हजार 902 हेक्टेयर, 93 मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिये 4 लाख 81 हजार 482 और 5,239 लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 12 लाख 23 हजार 383 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है।

प्रदेश में बायोस्फियर रिजर्व प्रबंधन योजना

जैव–विविधता से सम्पन्न क्षेत्रों की पहचान कर संरक्षण का कार्यक्रम

भोपाल। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मानव एवं बायोस्फियर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत देश के जैव–विविधता से सम्पन्न क्षेत्रों की पहचान कर उनके संरक्षण के लिये बायोस्फियर रिजर्व स्थापित किये जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैव–विविधता का संरक्षण, स्थानीय लोगों से जुड़ी विकास योजनाओं और प्रशिक्षण एवं शिक्षण को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 3 रिजर्व प्रबंधन पचमढ़ी, अचानकमार–अमरकंटक और पन्ना घोषित किये जा चुके हैं। पचमढ़ी रिजर्व में 3 जिले होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा और बैतूल जिले के भाग शामिल हैं। अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व में मध्यप्रदेश का 32 प्रतिशत भाग, जिसमें अनूपपुर एवं डिण्डोरी जिले के कुछ भाग और शेष भाग छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। पन्ना रिजर्व बायोस्फियर में पन्ना और छतरपुर जिले आते हैं। तीनों क्षेत्रों के प्रबंधन के लिये राज्य शासन द्वारा एप्को नोडल एजेंसी घोषित है। इन क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा विगत दो वर्ष में करीब 4 करोड़ की राशि मंजूर की गयी।

किसानों को एक ही पोर्टल पर विभाग की सभी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित करें

भोपाल। किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने मंत्रालय में यंत्रदूत सहित कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा आवेदन की प्रक्रिया की समीक्षा की। मंत्री श्री यादव ने कहा कि सभी प्रकार के यंत्र एवं कृषि उपकरण एक ही पोर्टल पर आवेदन के माध्यम से प्रदाय करने की सुविधा किसानों को उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों में चक्कर न लगाने होंगे। बैठक में संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-

डी.सी.ए. मात्र 8100/-

न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039

फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160

Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैंदान, इंदौर

फोन : 0731-2410908, 9926451862

मध्यप्रदेश शासन

युवाओं को मिलेगा पूरा सम्मान

प्रशिक्षण और रोज़गार से बढ़ेगा स्वाभिमान

मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना

शहरी युवाओं को वर्ष में 100 दिन की रोज़गार गारंटी।

पोर्टल एवं एप पर 12 फरवरी, 2019 से पंजीयन प्रारंभ

- युवाओं को मिलेगा प्रतिमाह 4 हजार रुपये स्टाइपेंड।
- 21 से 30 वर्ष आयु के शहरी युवा होंगे लाभान्वित।
- 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले बेरोज़गार युवा होंगे पात्र।
- नगरीय निकायों में 21 फरवरी, 2019 से प्रशिक्षण होगा प्रारंभ।

योजना की अधिक जानकारी एवं पंजीयन हेतु

http://yuvaswabhimaan.mp.gov.in/ पर लॉगइन अथवा
मोबाइल एप **मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना** डाउनलोड कर सकते हैं।

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2019

बदलाव के लिए संकल्पित
मध्यप्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

D-17008/2019

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।